

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2015

सख्या 17/पी.जी.टी.-II/पं0अ0 16/1952/धा0 22/2015.— पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 16), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं ।
2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में उप-नियम (1) में, खण्ड (vi) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(vi)मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अनुसार हरियाणा राज्य में या में से उनके प्रमाणित तथा पंजीकृत भार से अनधिक माल वाहन के लिए प्रयोग में लाये गये लोक अथवा निजी वाहन की लदान क्षमता:-”

(क)	1.2 टन तक	छूट
(ख)	1.2 टन से अधिक किन्तु 6 टन से अनधिक	₹ 6000/- प्रति वर्ष
(ग)	6 टन से अधिक किन्तु 16.2 टन से अनधिक	₹ 7200/- प्रति वर्ष
(घ)	16.2 टन से अधिक किन्तु 25 टन से अनधिक	₹12000/- प्रति वर्ष
(ङ)	25 टन से अधिक	₹18000/- प्रति वर्ष.

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 9th July, 2015

No.17/PGT-II/P.A.16/1952/S.22/2015.- In exercise of the powers conferred by section 22 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Act 16 of 1952), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely: -

1. These rules may be called the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Rules, 2015.

2. In the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in rule 9, in sub-rule (1), for clause (vi) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(vi) Public carriers or private carries used for carrying goods not exceeding their certified and registered load as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in or through the State of Haryana having loading capacity:-

(a)	Upto 1.2 tonnes	Exempted
(b)	Exceeding 1.2 tonnes but not exceeding 6 tonnes	₹ 6000/- per annum
(c)	Exceeding 6 tonnes but not exceeding 16.2 tonnes	₹ 7200/- per annum
(d)	Exceeding 16.2 tonnes but not exceeding 25 tonnes	₹ 12000/- per annum
(e)	Exceeding 25 tonnes	₹ 18000/- per annum.”

Roshan Lal,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.